01. सूरजभान पुत्र श्री प्रभात, आयु 45 वर्श, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)

---अपीलांट

बनाम

01. रामचन्द्र पुत्र श्री ईश्वरलाल,
02. ईश्वर पुत्र मांगूराम,
03. शंकरलाल पुत्र ईवरलाल,
04. भगवान सहाय पुत्र स्व. मोहनलाल,
05. ग्यारसीलाल पुत्र स्व. मोहनलाल,
06. सरदार पुत्र स्व. मोहनलाल,
07. रामस्वरूप पुत्र स्व. मोहनलाल,
08. गोठी देवी पत्नी स्व. मोहनलाल,
09. सोनी देवी पुत्री स्व. मोहनलाल,
10. सीमा देवी पुत्री स्व. मोहनलाल,
11. बिदामी देवी पत्नी ईश्वरलाल समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 के विरूद्ध बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ग्राम अमरपुरा, पटवार क्षेत्र अमरपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार व्यक्ति है, ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का क्षेत्र अमरपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रार्थी की आराजी भूमि तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रार्थी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1466 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1467 रकबा 2.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1468 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1469 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1470 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1472 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1474 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1475 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1479 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1481 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1488 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1489 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1496 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1491 रकबा 1.55 हैक्टेयर कुल किता 17 का कुल रकबा 10.38 हैक्टेयर उक्त भूमियों में प्रार्थी का 1/9 भाग दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं, प्रार्थी खसरा नम्बर 1482 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1486 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1487 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1612 रकबा 2.45 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 3.79 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/9 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है, शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण संख्या 2 लगातय 12 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उक्त भूमियों के खातेदार मोहनलाल पुत्र मांगीलाल का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 11 है, अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 12 प्रार्थी के सहखातेदार/पड़ौसी है। उन्होने आगे कथन किया है कि मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमूं के आदेश क्रमांक एल.आर 12019/4927 दिनांक 11.11.2019 के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.06.2020 को ग्राम अमरपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1482, 1486, 1487, 1610, 1612, 1666 से 1475, 1478, 1479, 1481, 1488, 1491 के मौके पर राजस्व रिकॉर्ड पहुंचा एवं मौके पर खातेदारगण उपस्थित होकर सर्वप्रथम खसरा नम्बर 1593, 1601, 1439 गैर मुमकिन चाहा का आपस में मिलान किया गया, जो नक्शा सही पाया गया तत्पश्चात उक्त खसरा नम्बर गैर मुमकिन चाहा से खातेदारी खसरा नम्बर को बार–बार जरीब चलाकर सीमाज्ञान किया गया, खातेदारान सीमाज्ञान कार्य से संतुष्ट होना बताया, फर्द मौका सीमाज्ञान पढ़–सुनाकर, हस्ताक्षर, अंगूठा करवाये गये, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि की प्रार्थी की पत्थरगढी करवाना चाहता है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल.आर.एक्ट के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि यह सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में किया गया कि पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करें, जिससे प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सुरक्षा हो सके।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सुस्पष्ट था कि विवादित भूमि के पड़ौसी खातेदारों को उक्त अपीलाधीन प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया, परन्तु इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर केवल मात्र प्रार्थी/हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसका निर्णय में किसी प्रकार की फाईडिंग दिये बिना आरबिट्रेरी ढंग से जो

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय पारित किया गया है, जो आदेश विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपना आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व मामले को समझना चाहिए था एवं मामले में गहनता से जांच करके अपना विधिपूर्ण निर्णय पारित करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र प्रार्थी/हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को आधार मानते हुए अपना अभिमत देकर गंभीर कानूनी भूल की है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय प्रथम दृष्टया सही नहीं होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय में ना तो कोई फाईडिंग दी है और ना ही पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों का कोई विवेचन ही किया है बल्कि केवल मात्र चार लाइनों में बिना कोई फाईडिंग दिये एवं बिना अपना अभिमत व्यक्त किये आरबिट्रेरी ढंग से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन को स्वीकार करने का निर्णय पारित किया है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष फर्द मौका कार्यवाही दिनांक 22.06.2020 की प्रतिलिपी उक्त अपीलाधीन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न थी, जिसका गहनता से अध्ययन नहीं किया क्योंकि उक्त फर्द मौका कार्यवाही पर पड़ौसी खातेदार काश्तकारों के किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए भी उक्त अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जिन खसरा नम्बरों की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उन खसरा नम्बरों से सम्बन्धित अन्य न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं, जिसका भी प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इन तथ्यों को छिपाते हुए उक्त अपीलाधीन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायालय से उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया हैं, इसलिए भी उक्त अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2020 को अपास्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकार प्रदत्त है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी अपनी खातेदारी काश्त की आराजी की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान करवाये जाने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2020 पारित किया या है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होन से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 12 को रेस्पोडेन्ट संयोजित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 11 के अधिवक्ता ने पत्थरगढी हेतु अपनी सहमति भी दी गई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौंमू द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 22.06.2020 के अनुसार उभयपक्षकारों को एवं यदि उक्त आवेदित कृषि के अन्य खातेदारों की सीमा लगती हो तो उन्हे सूचित करते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है जिससे स्पष्ट है कि पत्थरगढी की कार्यवाही पडौसी खातेदारों के जानकारी में ही की जावेंगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2020 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2020 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।